UPFR010041522018

206 Electricity Act/500588/2018 Kamalganj

State Government Vs. soyev

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–04, फर्रुखाबाद।

उपस्थितः– दीपेन्द्र कुमार सिंह–I.....एच०जे०एस० J.O.Code–U.P.2720

विशेष वाद संख्या–588/2018

राज्य प्रति शोएब।

अपराध संख्या–206/2017
धारा–138–बी विद्युत अधिनियम, 2003
थाना–कमालगंज, जनपद–फर्रूखाबाद।

दिनांक: 17–07–2026

पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत प्रकरण में उपभोक्ता/अभियुक्त द्वारा पूर्व में प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि, विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत शोएब के खिलाफ आरोप पत्र लगाया गया है, इसमें शोएब ने समन धनराशि 20,000/– रू० एवं नोटिस की धनराशि 60/– रूपये जमा कर दी है, जिसकी रसीद एवं अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड फर्रूखाबाद द्वारा पत्रांक संख्या 4285 पर अपना पत्र लिखा है। रसीद एवं अधिशाषी अभियंता का पत्र, इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर रहा है। अब कोई धनराशि बकाया उपरोक्त मुकदमे के संबंध में शोएब के ऊपर नहीं है। इसलिये उपरोक्त मुकदमे को निस्तारित किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा, उसके विरुद्ध इस मामले के संबंध में निर्धारित प्रशमन राशि की अदायगी विद्युत निगम को कर दी गयी है, जिसकी पुष्टि निगम द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाण पत्र दिनांक 18.06.2026 से हो रही है।

विद्युत अधिनियम 2003, (अधिनियम संख्यांक 36) की धारा 152 की उपधारा (2) ऐसी दशा में अर्थात् (अभियुक्त द्वारा प्रशमन धनराशि डिपोजिट कर दिये जाने पर) अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग का प्रशमन किये जाने का प्रावधान करती है।

धारा 152 (2) इस प्रकार है कि– उपधारा (1) के अनुसार धनराशि का संदाय कर दिये जाने पर उस अपराध के सम्बन्ध में अभिरक्षा में रह रहे व्यक्ति को निर्मुक्त कर दिया जाएगा और ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरूद्ध किसी दण्डिक न्यायालय में कोई कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जायेगी या जारी नहीं रखी जाएगीं।

अतः इस भाँति, अभियुक्त शोएब के विरुद्ध संस्थित मामले का प्रशमन हो जाता है। अर्थात् विशेष न्यायालय के समक्ष लम्बित कार्यवाही का, अभियुक्त के विरुद्ध प्रशमन हो जाने के कारण समाप्त की जाती है।

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही प्रशमन के आधार पर समाप्त की जाती है। चूंकि उक्त प्रकरण में अभियुक्त शोएब के विरुद्ध आरोप विरचित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। अभियुक्त के प्रतिभुओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार भेजी जाये।

(**दीपेन्द्र कुमार सिंह–I**)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–04, फर्रूखाबाद।

Digitally signed by DEEPENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.17 16:37:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court